राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1196/2014/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–ए, अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जानकीलाल गजानन्द,
नया बाजार, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

2. क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र संख्या – 1381/2014/अजमेर

मैसर्स जानकीलाल गजानन्द,
नया बाजार, अजमेर।

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–ए, अजमेर।

एकलपीठ
श्री गदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अधिवक्ता .....विभाग की ओर से
श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अधिवक्ता .....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09.05.2018

निर्णय

1. यह अपील व क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र क्रमशः राजस्व एवं व्यवहारी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 194/12–13/बैट/अजमेर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 14.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, अजगेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.02.2013 के जरिये अभिनिर्धारित मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा वर्ष 2010–11 की अवधि में वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत करने का दायित्व है जो प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र 242 दिन देरी से प्रस्तुत किया गया। विवरण पत्र की देरी के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा विलम्ब शुल्क का अभिनिर्धारण किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त पारित आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा प्रथम अपील एवं व्यवहारी द्वारा द्वितीय क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विभाग की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने विशिष्ट नोटिस के बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना शास्ति का आरोपण कर दिया जो विधि विरुद्ध है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न न्यायिक निर्णयों का उद्धरण पेश किया, जो कि निम्नलिखित है—

A. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड–II, सी उदयपुर बनाम रोप्स एण्ड वाइरस निर्णय दिनांक 22.03.2012
B. खत्री मोगरा मूलचन्द बाडमेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी बाडमेर, निर्णय दिनांक 28.01.2013
C. मैट्रो एपीलाइंस लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त विशेष वृत–प्रथम, जयपुर TUD VOLUME PART -I (May 1 to 15 2005)

आगे उन्होंने अपने कथन में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रांस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में व्यवसायी को 03.01.2013 को दिनांक 23.01.2013 के लिए विशिष्ट नोटिस जारी कर पूछा गया कि क्यों नहीं वैट–10ए पेश नहीं करने के कारण धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपित की जावें ? इस प्रकार विशिष्ट नोटिस जारी करने के पश्चात् शास्ति आरोपित की गई है। जिससे माननीय कर बोर्ड के विभिन्न न्यायिक निर्णयों में विशिष्ट नोटिस देने के निर्णय की पालना हो जाती है। नोटिस मूल पत्रावली के पेज 4 पर उपलब्ध है।

7. हस्तगत प्रकरण में व्यवसायी को वर्ष 2010–11 का वैट 10ए विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में दिनांक 28.01.2013 को वैट 10ए प्रस्तुत किया गया, परन्तु विलम्ब से पेश करने का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायी वर्ष 2009–10 में भी मासिक करदाता था तथा आलोच्य अवधि में भी मासिक करदाता की श्रेणी में आता है। इस पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य की कोई जांच नहीं की है कि व्यवसायी मासिक करदाता है या नहीं। चूंकि धारा 58 में विलम्ब से रिटर्न प्रस्तुत करने पर धारा 20 के तहत मासिक करदाता की शर्त जोड़ी हुई है। अतः प्रकरण में चूंकि व्यवसाई मासिक करदाता की श्रेणी में आता है। अतः आरवैट एक्ट के नियम 21 तथा 19

लगातार.................3

के तहत व्यवसाई का वार्षिक रिटर्न वैट 10ए समय पर प्रस्तुत करने का विधिक दायित्व था जिसकी हस्तगत प्रकरण में व्यवसायी ने पालना नहीं की है। धारा 58 के प्रावधान निम्न प्रकार है :–

> Penalty for failure to furnish return WEF 08-07-2009 (Applicable upto 31-03-2011) are as under **58 Penalty for failure to furnish return.-** Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed to furnish prescribed returns within the time allowed. he may direct that such dealer shall pay by way of penalty:-
>
> (i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed and (ii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand. for the period during which the default in furnishing of such return continues.

8. उपरोक्त विवेचनानुसार व्यवसायी मासिक करदाता की श्रेणी में होने के कारण 58(1) के तहत शास्ति जमा कराने का दायित्व बनता है जहां तक व्यवसायी का यह तर्क है कि शुद्ध देय कर भी शून्य है वह इन प्रकरणों में लागू नहीं होते है, क्योंकि व्यवसाई का आलोच्य अवधि में 38 लाख से अधिक देय कर बना है, जिसमें आई.टी.सी. अधिक होने से लौटाने योग्य राशि शेष रहती है। इस प्रकार व्यवसाई मासिक करदाता की श्रेणी में आने के कारण शास्ति आरोपणीय है।

9. फलतः उक्त रेकार्ड से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि व्यवसाई ने वार्षिक बिक्री प्रपत्र वैट 10ए को 242 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया है और नोटिस देने के बावजूद देरी से प्रस्तुत करने को कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 14.03.2014 को अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 01.02.2013 को बहाल (Restore) किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल भालवीय)
सदस्य